संगम का ज्ञापन और नियम

Memorandum of Association & Rules

भारतीय खेल प्राधिकरण

नई दिल्ली

SPORTS AUTHORITY OF INDIA

NEW DELHI

भारतीय खेल प्राधिकरण

के

नियम

भारतीय खेल प्राधिकरण
का
संगम का ज्ञापन

1. सोसाइटी का नाम भारतीय खेल प्राधिकरण होगा (इसे बाद में सोसाइटी के नाम से निर्दिष्ट किया जाएगा)
2. सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय संघ क्षेत्र दिल्ली में होगा और इस समय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है ।
3. सोसाइटी की स्थापना के लक्ष्य इस प्रकार होंगे :-

(1) खेल एवं उससे संबन्धित तथा प्रासंगिक कार्यकलापों का विकास और बढ़ावा तथा इसके बाद भारत सरकार की खेल नीति को ध्यान में रखते हुए देश में खेल- कूद के स्तर में सुधार करने तथा बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार करना और उसको कार्यान्वित करना ।

(2) समय-समय पर भारत सरकार तथा अन्य निकायों द्वारा देश में खेल-कूद का स्तर ऊपर उठाने और खेलों को बढ़ावा देने से संबन्धित इसकी सौंपी गई वर्तमान योजनाओं को जारी रखना और उनको कार्यान्वित करना ।

(3) खेल-कूद तथा इससे संबन्धित चिकित्सा , जीब यांत्रिक विज्ञान , मनोविज्ञान तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञान में अनुसंधान और विकास को शुरू करना , संचालित करना, प्रायोजित करना, अनुकरण करना तथा प्रोत्साहन देना ।

(4) दिल्ली और देश के अन्य के अन्य भागों में खेल अवस्थापनों , खेल सुविधाओं , सहायक भवनों, खेल मैदानों, भूमि आदि से संबन्धित योजना बनाना , उसका विकास करना , निर्माण करना, प्राप्त करना , अधिग्रहण करना , प्रबन्ध करना , रख-रखाव करना तथा उसका प्रयोग करना ।

(5) खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अधिकारियों आदि के लिए आवासीय सुविधाओं की योजना बनाना , उनका विकास करना , उनका निर्माण करना , प्राप्त करना , अधिग्रहण करना , प्रबन्ध करना , रख-रखाव करना, चाहे ये दिल्ली में तथा देश के अन्य स्थानों में स्टेडियम के एक अंग के रूप में हों, चाहे पृथक-पृथक रूप से हों ।

(6) टूर्नामेंटों, प्रशिक्षण शिविरों , प्रदर्शनी मैचों और अन्य खेल कार्यकलापों का आयोजन करना , प्रायोजित करना , व्यवस्था करना और अपने आप प्रबन्ध करना और इससे संबन्धित सुविधाएं प्रदान करना तथा खेलों तथा खिलाड़ियों के लाभ अथवा अन्यथा इन लक्ष्यों के आगे के हितों में समाज और संस्कृति तक ही जो सीमित न हों, सहित ऐसे उद्देश्यों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(7) ऐसे संस्थानों, जो अस्तित्व में हैं अथवा नए हैं उनकी स्थापना करना, चलाना, प्रबन्ध करना और संचालन करना करना और ऐसे संस्थानों का समूचे या आंशिक रूप से कार्यकलापों और गतिविधियों को सम्पन्न करना।

(8) खेलों के विकास के लिए भारत में सुविधाजनक स्थानों में केन्द्रों का गठन अथवा गठन सम्बन्धी कारणों पर विचार करना ।

(9) देश में खेल उपस्कर अनुसंधान को प्रारम्भ करना , प्रायोजित करना, और प्रोत्साहित करना परन्तु इसे साथ-साथ यह केवल मानस खेल उपस्करों के निर्माण तक ही सीमित नहीं करना चाहिए ।

(10) आयोजकों को भारत में हुई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय टूमिटों के आयोजन और संचालन में, तकनीकी तथा अन्य, सहायता, खेल उपस्कर देना और खेल सुविधाऐं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करना ।

(11) विभिन्न खेलकूदों में उच्च प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षा , प्रशिक्षण और सुविधाऐं प्रदान करना ।

(क) वर्तमान अथवा भविष्य में बनाए जाने वाले किसी भी खेल संस्थान के प्रबन्ध तथा प्रशासन को चलाना तथा उनमें प्रशिक्षण हेतु कोर्स में विद्यार्थियों को दाखिल करना , परीक्षा आयोजित करना , परिणाम घोषित करना , जब आवश्यक हो डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र देना तथा उनसे सम्बन्धित नियमों व विनियमों को सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के नियमों व विनियमों के अनुरूप निर्धारित करना।

(ख) शारीरिक शिक्षा , योग और विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम को निर्धारित करना व चलाना तथा अधिनियमों द्वारा निर्धारित फीस की मांग करना जो कि जिस विश्वविद्यालय से संस्थान सम्बन्धित हो उसके नियमों एवं अधिनियमों एवं अधिनियमों के अनुरूप हो ।

(ग) सारे अध्यापन स्टाफ एवं ऐसे संस्थान के लिए आवश्यक अन्य स्टाफ की उपयुक्त व सही समझी जाने वाले शर्तों पर नियुक्ति करना ।

(12) खिलाड़ियों, खेल अधिकारियों और ऐसे ही अन्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए कदम उठाना, और सक्रिय, अनुभवी, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों अथवा अधिकारियों जिनमें प्रशिक्षक भी शामिल हैं, के लिए हितकारी योजनायें चलाना ।

(13) राज्य सरकारों , राज्य खेल परिषदों , भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा राष्ट्रीय खेल महासंघो अथवा ऐसे ही अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संघो अथवा निकायों के साथ , खेल - कूद तथा अन्य सम्बन्ध विषयों से सम्बन्धित मामलों में समन्वय , सहयोग और सम्पर्क स्थापित करना ।

(14) खेल सुविधाओं के आयोजन और विकास के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन और संचालन में भारत में और विदेशों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना और उन्हें विकसित करना ।

(15) खेल-कूद के विकास और ऐसे खेल स्तरों में सुधार लाने जिन्हें भारत सरकार और अन्य प्राधिकरणों द्वारा सोसायटी को भेजा जा सकता है और ऐसे अन्य खेल मामलों में जिनमें यह अपनी ओर से भारत सरकार के तथा अन्य ऐसे हो प्राधिकरणों को सिफारिशें करना चाहे, से सम्बन्धित सभी मामलों पर भारत सरकार , राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह देना ।

(16) खेल क्षेत्रों और इससे सम्बद्ध मामलों में विचार गोष्ठियां , सम्मेलन इत्यादि आयोजित करना।

(17) खेल-कूद से सम्बन्धित पत्रिकाओं और साहित्य के प्रकाशन को शुरू करना , प्रायोजित और प्रोत्साहित करना ।

(18) इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन में पुरस्कार , छात्रवृत्तियाँ और वजीफे देने की व्यवस्था शुरू करना।

(19) दान, अनुदान और उपहार स्वीकार करना और किसी धर्मस्व अथवा न्यास का प्रबन्ध करना और इन लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ दान , अनुदान और उपहार देना ।

(20) सोसाइटी को च ल और अचल सम्पत्ति पर जमान त अथवा बिना जमानत से राशि लेना तथा उधार लेना बशर्ते कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की गयी हो ।

(21) चल और अचल सम्पत्तियों की खरीद अथवा अन्यथा स्वामित्व प्राप्त करना अथवा पट्टे पर अथवा किराये पर लेना और ऐसी किसी भी चल और अचल सम्पत्ति को बेचना , गिरवी रखना, स्थानान्तरित करना अथवा निपटान करना, परन्तु ऐसी अचल सम्पत्तियों के बारे में भारत सरकार की पूर्व अनुमति ली जाएगी ।

(22) ऐसी सभी कार्रवाई और कार्य करना जिसे सोसाइटी उपयुक्त लक्ष्यों अथवा उनमें से किसी एक के विस्तार अथवा प्रासंगिकता प्राप्त करने अधया प्रेरणा के लिए अपेक्षित समझती है।

(23) सोसाइटी की आय और उसकी सम्पत्ति का उपयोग केवल सोसाइटी के उद्देश्यों की वृद्धि हेतु ही किया जाएगा , जो उद्देश्य संगम के ज्ञापन में निहित है । किन्तु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के व्यय के सम्बन्ध में वे ही शर्ते और सीमाएं लागू होंगी जो कि भारत सरकार समय-समय पर जारी करेगी । सोसाइटी की सम्पत्ति या उसके द्वारा अर्जित आय का कोई भी अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभांश , बोनस अथवा किसी और तरीके से उन व्यक्तियों को , जो कि उनके द्वारा हक प्राप्त करता हो , नहीं दिया जाएगा और न ही स्थानान्तरित किया जाएगा । किन्तु ऐसी स्थिति में जब कि इस तरह के सद्भावपूर्ण भुगतान में किसी सदस्य के मानदेय या और किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के लिए की गयी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप की गयी हों , तो उस पर उपरोक्त शर्त मान्य नहीं होगी ।

(24) यदि सोसाइटी के बन्द अथवा भंग करने पर सारे ऋण और दायित्व चुकाने के पश्चात कोई सम्पत्ति बचती है तो ऐसी सम्पत्ति न तो सोसाइटी सदस्यों को दी जाएगी और न ही उनमें बांटी जाएगी । ऐसी सम्पत्ति का निपटान भारत सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से ही किया जाएगा ।

(25) किसी भी अन्य सोसायटी या ऐसे लोगों (चाहे निकाय शामिल हो या न हो) के साथ , जो सोसायटी के उद्देश्यों के अन्तर्गत ही गतिविधियों में लगे हों , मिश्रण, विलय या मिलकर कार्य करने के प्रबन्ध को कार्यान्वित करना, पूरा करना या हाथ में लेना ।

शासी निकाय के वर्तमान सदस्यों , जिन्हें सोसायटी का प्रबन्ध सौंपा गया है , सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 , जोकि संघ क्षेत्र दिल्ली पर लागू होता है , उसकी धारा 2 के अनुसार उनके नाम, पते, व्यवसाय और पदनाम निम्नलिखित है :

क्रं सं	पूरा नाम	पता	व्यवसाय	सोसायटी में पदनाम
1.	सरदार बूटा सिंह	16 , अशोक रोड , नई दिल्ली	केन्द्रीय मंत्री, निर्माण एवं आवास , संसदीय कार्य	उपप्रधान एवं अध्यक्ष , शासकीय निकाय
2.	मेजर जनरल नरिंदर सिंह [सेवा निवृत] पी.वी.एस.एम.एवीजे	3, मौलाना आजाद रोड	मदानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण , नई दिल्ली	उपाध्यक्ष, शासकीय निकाय
3.	श्री पी.एल. मल्होत्रा	अरविन्द मार्ग , नई दिल्ली	निदेशक, सदस्य , रा.शै.अनु. प्रशिक्षण परिषद	सदस्य शासकीय निकाय
4.	श्री जी एस. राव	निर्माण एवं आवास मंत्रालय, निर्माण विभाग , नई दिल्ली	महानिदेशक निर्माण , केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	सदस्य शासकीय निकाय
5.	एयर वाइस मार्शल सी.एल.मेहता	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली -3	महासचिव, भारतीय ओल-ओलिम्पिक संघ	सदस्य, शासकीय निकाय
6.	श्री एस.के. चतुर्वेदी	खेल विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव, खेल	सदस्य, शासकीय निकाय
7.	श्री ए.एस.तलवार	54-अशोक रोड , नई दिल्ली	सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य सचिव , शासकीय निकाय

हम, अधोहस्ताक्षरी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 , जो संघ क्षेत्र दिल्ली में लागू है, उसके अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण नामक सोसाइटी को , उसके ज्ञापन के अनुसार गठन करने के इच्छुक है :

क्रं. सं.	पूरा नाम	पता	व्यवसाय	सोसाइटी में पदनाम
1	सरदार बूटा सिंह	16, अशोक रोड नई दिल्ली	केन्द्रीय मंत्री , निर्माण एवं आवास , संसदीय कार्य और खेल	हस्ताक्षरित बूटा
2	मेजर जनरल नरिन्दर सिंह [सेवा निवृत] पी.वी.एस.एम.एवीजे	3, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	हस्ताक्षरित मेजर जनरल नरिन्दर सिंह
3	श्री पी.एल. मल्होत्रा	अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली	निदेशक रा.सै.अनु. प्रशिक्षण परिषद	हस्ताक्षरित डा. पी.एल. मल्होत्रा
4	श्री जी.एस.राव	निर्माण एवं आवास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	महानिदेशक, निर्माण , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	हस्ताक्षरित जी.एस. राव
5	एयर वाइस मार्शल सी. एल. मेहता	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली-3	महासचिव, भारतीय ओलम्पिक संघ	हस्ताक्षरित सी.एल.मेहता
6	श्री एस.के. चतुर्वेदी	खेल विभाग , शास्त्री भवन ,नई दिल्ली	संयुक्त सचिव, खेल	हस्ताक्षरित एस. के. चतुर्वेदी
7	श्री ए.एस. तलवार	54 - अशोक रोड, नई दिल्ली	सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण	हस्ताक्षरित ए.एस. तलवार

भारतीय खेल प्राधिकरण के नियम

परिभाषाएँ : 1. इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

[क] "सोसाइटी" से "भारतीय खेल प्राधिकरण" अभिप्रेत है ।

[ख] "शासकीय निकाय" से इन नियमों के 32 नियम के अंतर्गत गठित निकाय अभिप्रेत है ।

[ग] "प्रधान" से सोसाइटी का "प्रधान" अभिप्रेत है ।

[घ] "उपप्रधान" से सोसाइटी का "उपप्रधान" अभिप्रेत है ।

[ङ] "महानिदेशक" से सोसाइटी का "महानिदेशक" जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त होगा, अभिप्रेत है ।

[च] "वित्त सदस्य" से अभिप्रेत उस अधिकारी से होगा, जो वित्त मंत्रलाय के व्यय विभाग के संयुक्त सचिव की श्रेणी से कम का न हो और उसे, इसके लिए भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा ।

[छ] "सचिव" से सोसाइटी का सचिव, जिसको नियुक्त भारत सरकार द्वारा होगी, अभिप्रेत है ।

[ज] "वर्ष" जब तक कि शासकीय निकाय द्वारा किसी और तरह विनिर्दिष्ट न किया जाए वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

[झ] इन नियमों के संदर्भ में परिवर्तन या संशोधन भी सम्मिलित होंगे और शब्द पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों को सूचित करेंगे ।

1. **सोसाइटी**

सोसाइटी का मुख्यालय 2. सोसाइटी का कार्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में स्थित होगा अथवा दिल्ली में उस स्थान [स्थानो] पर होगा जैसा शासकीय निकाय समय-समय पर निर्णय लें ।

सोसाइटी के सदस्य-

2. क. सोसाइटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1.	भारत के प्रधानमंत्री	प्रधान	पदेन
2.	केन्द्रीय खेल प्रभारी मंत्री	उपप्रधान	पदेन
3.	युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री	सदस्य (रिक्त)	पदेन
4.	केन्द्रीय वित्त मंत्री	सदस्य	पदेन
5.	केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री	सदस्य	पदेन
6.	राज्य सरकारों के प्रभारी खेल मंत्र जो विभिन्न क्षेत्रों यथा दक्षिण ,पूर्व पश्चिम उत्तर , मध्य तथा उत्तर पूर्व का प्रतिनिधित्व करते हैं । तथापि इनमें से एक दिल्ली से होना अनिवार्य है । (भा.खे.प्रा. के प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व के लिए बारी-बारी से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है)	सदस्यगण (7)	खेल प्रभारी मंत्री 1. पश्चिम बंगाल सरकार 2. महाराष्ट्र सरकार 3. असम सरकार 4. छत्तीसगढ़ सरकार 5. हरियाणा सरकार 6. केरल सरकार 7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
7.	तीन संसद सदस्य (दो लोकसभा सभा से और एक राज्य सभा से) संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मनोनीत	सदस्यगण(3)	1. श्री विनोद शर्मा 2. श्री जगदीश टाईटलर 3. श्री राजीव शुक्ला
8.	अध्यक्ष, अर्जुन पुरस्कार संघ	सदस्य	पदेन
9.	अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ	सदस्य	पदेन
10.	अध्यक्ष, सर्विसेस खेल नियंत्रण बोर्ड	सदस्य	पदेन
11.	अध्यक्ष, रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड	सदस्य	पदेन
12.	सचिव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	सदस्य	पदेन
13.	अपर सचिव, (व्यय) वित्त मंत्रालय	सदस्य	पदेन
14.	संयुक्त सचिव (खेल) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	सदस्य	पदेन
15.	सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ	सदस्य	पदेन

16.	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.)	सदस्य	पदेन
17.	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	सदस्य	पदेन
18.	खेल सामान उद्योग का प्रतिनिधि सामान आयात प्रोन्नति	सदस्य	अध्यक्ष खेल परिषद
19.	अध्यक्ष, फीकी अथवा उसका नामिती	सदस्य	पदेन
20.	अध्यक्ष, सी आई आई अथवा उसका नामिती	सदस्य	पदेन
21.	दो खेल प्रोत्साहक (खेलों के प्रोत्साहन/ संगठन तथा प्रशासन से संबन्धित मामलों की जानकारी)	सदस्य	1. श्री आनंद महेन्द्रा 2. श्री भूपिन्दर सिंह सूरी
22.	आठ उत्कृष्ट खिलाड़ी (जिन्हें भारत सरकार द्वारा भा.खे.प्रा. के प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व के अनुसार बारी-बारी से नामांकित किया जायेगा जिसमें एक महिला भी शामिल होगी)	सदस्य	1. श्री अजित वाडेकर 2. श्री जी.एस. रंधावा 3. श्री गीत सेठी 4. श्री दिनेश खन्ना 5. श्री कौर सिंह 6. श्री संता रामजाधव 7. श्री भाई चुंग भूटिया 8. सुश्री बुला चौधरी चक्रवर्ती
23.	शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ	सदस्य	विभागाध्यक्ष, पुदुच्चेर विश्वविद्यालय, पुदुच्चेर
24.	विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य	विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
25.	योग विशेषज्ञ	सदस्य	आयंगर योग फ़ाउंडेशन अध्यक्ष पुणे
26.	सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य सचिव	पदेन

[ख] यहाँ दिये गए नियम 8 को मान्यता देते हुए उस स्थिति में जबकि प्रथम प्रधान किसी भी समय सोसाइटी का प्रधान न रहे तो केवल भारत सरकार को ही सोसाइटी का नया प्रधान नामित करने का अधिकार होगा, जो कि उसके द्वारा निर्धारित शर्तो और कालावधि जो कि तीन वर्ष से अधिक न हो, के अंतर्गत होगा।

[ग] नामांकन, नाम अथवा पदनाम द्वारा , जैसे भी नामांकन करने वाला प्राधिकरण उचित समझे, किया जा सकता है । नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति की क्षमता का केवल वही निर्णायक होगा ।

[घ] प्रधान समय-समय पर सोसाइटी को किसी भी प्रयोजन से की जाने वाली बैठक मे अतिरिक्त सदस्यों को,जो संख्या में दस से अधिक न हों, सहयोजित अथवा आमंत्रित कर सकता है ।

सदस्य पंजिका

4 . सोसाइटी सदस्यों की सूची रखेगी, जिसमें उनके पूरे नाम, पते और व्यवसाय की सूचना होगी और हर सदस्य उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। यदि सोसाइटी का कोई सदस्य अपना पता बदलता है तो वह सोसाइटी के सचिव को अपना नया पता सूचित करेगा, जो तदनुसार सदस्य-सूची में परिवर्तन कर देगा । फिर भी जो कोई सदस्य सोसाइटी सचिव को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना नहीं देता, तो सदस्य-सूची में दीया हुआ उसका पता ही सही माना जाएगा ।

सदस्यता समाप्ति

5. क. जहां कोई व्यक्ति अपने पद अथवा नियुक्ति के कारण सोसाइटी का सदस्य बनता है तो जब वह उस पद अथवा नियुक्ति पर नहीं रहेगा तो उसकी सोसाइटी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी ।

ख. संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य सोसाइटी के सदस्य नामांकित किए जाएंगे, सदन के भंग हो जाने पर अथवा कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अथवा सदन का सदस्य न रहने पर, जो भी पहले हो, वो सोसाइटी के सदस्य नहीं रहेंगे ।

6. सोसाइटी के सदस्यता निम्न स्थितियों में से किसी एक के घटित होने पर समाप्त हो जाएगी:-

1. सदस्यता की नामांकित कालावधि की समाप्ति पर,

2. मृत्यु, त्याग-पत्र, दिवालिया या पागलपन या नैतिक भ्रष्टाचार सहित फ़ौजदारी के लिए दंडित किए जाने पर,

3. जब कोई सदस्य स्वयं सोसाइटी की सेवा करने से इन्कार कर दे अथवा उसका नियोक्ता, सोसाइटी की सेवा के लिए उसे अनुमति देने से इन्कार कर दे, और

4. जब कोई सदस्य प्रधान की उचित अनुमति के बिना निरन्तर तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होगा ।

7. प्रधान किसी समय किसी की सदस्यता समाप्त कर सकता है अथवा सदस्य को हटा सकता है । ऐसी समाप्ति पर स्थितियों के पूर्ति, इन नियमों से संबन्धित उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।

8. प्रथम प्रधान की मृत्यु अथवा स्वैच्छिक त्याग-पत्र के बिना उसको इन नियमों में निहित भी बात के बावजूद न तो हटाया जा सकेगा और न ही उसकी सदस्यता तीन वर्ष के कालावधि तक समाप्त की जा सकेगी बशर्ते पहला प्रधान भारत सरकार द्वारा अगले तीन वर्षों के लिए क्रमश: पुनः नामित होने का पात्र हो और वह उनहि शर्तों के अंतर्गत होगा जैसे कि वह प्रथम प्रधान हो।

सदस्यता की समयावधि
आकस्मिक रिक्ति कीपूर्ति और उसकी अवधि

9. [क] नियम 5,6,7 के उपबन्धों के तहत सोसाइटी का सदस्य नामित होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए पदासीन रहेगा ।

[ख] ऊपर उप नियम “क” में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि में यदि आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न होती है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति मूल रिक्त स्थान की तरह की जाएगी और जो व्यक्ति नामित/नियुक्त होगा वह नियम 6और 7 उपबन्धों के तहत बाँकी की अवधि के लिए पद पर रहेगा ।

10. जब कोई सदस्य [प्रधान के अतिरिक्त] सोसाइटी की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के इच्छुक हो, तो वह अपना त्याग-पत्र सचिव के पास अग्रेषित करेगा और सचिव तत्काल उसे उप-प्रधान के माध्यम से प्रधान के पास विचार के लिए देगा। प्रधान द्वारा स्वीकृत किए जाने की तिथि से वह त्याग-पत्र लागू माना जाएगा ।

यदि त्याग-पत्र प्रधान का हो तो वह उप-प्रधान को संबोधित किया जाएगा और तुरन्त उसको अग्रेषित किया जाएगा और त्याग-पत्र की तिथि से ही वह लागू माना जाएगा ।

सदस्यो द्वारा अधिनियमो की मान्यता

11. इस निकाय में किसी रिक्त के होते हुए भी सोसाइटी अपना कार्य करेगी और सोसाइटी का कोई भी कार्य, निर्देश अथवा कार्यवाही केवल मात्र उस रिक्ति के कारण अथवा किसी सदस्य के नियुक्ति में कोई कमी के कारण रद्द नहीं मानी जाएगी ।

सोसाइटी के प्राधिकारी

12.
1. प्रधान
2. उप प्रधान
3. शासकीय निकाय
4. महानिदेशक
5. सचिव
6. ऐसे अन्य निकाय/समितियां , जो भारत सरकार अथवा सोसाइटी द्वारा गठित या नियुक्त की जाएं जिन्हें भारत सरकार या सोसाइटी द्वारा निर्धारित कार्य या शक्तियां प्राप्त हों ।

प्रधान कार्यकारी अधिकारी

13. सोसाइटी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक होंगे ।

सोसाइटी के अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों की नियुक्तियां

14. सोसाइटी के संगम के ज्ञापन में दिए हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महानिदेशक और/ अथवा उनके अधीन अधिकारियों के आवश्यकता सहायता के लिए इन नियमों के अंतर्गत

प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों की नियुक्तियां की जाएगी ।

सोसाइटी की शक्तियां

15. समय- समय पर इस विषय में भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले मार्ग निर्देशों का पालन करते हुए सोसाइटी के संगम के ज्ञापन में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी कार्य करने और अधीनस्थ निकायों तथा अधिकारियों को प्रासंगिक या सहायक जैसा भी आवश्यक हो, निदेश जारी करने का पूरा अधिकार होगा ।

संघटक इकाइयों के कार्य एवं प्रगति पर पुनर्विचार

16. सोसाइटी अपनी बैठक [बैठको] में, जो वर्ष में कम-से-कम एक बार होगी, सोसाइटी के कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा करेगी एवं शासी निकाय को आवश्यक नीति निर्देश देगी ।

बैठकों आदि की सूचना

सोसाइटी के सदस्यों की सूचना अथवा कोई/अन्य जानकारी सदस्य सूची में दिए हुए सदस्य के पते पर व्यक्तिगत रूप से अथवा लिफाफे में डाक द्वारा भेजी जा सकती है ।

III प्रधान शक्तियां:

18. [क] सोसाइटी के कार्यों का संचालन करने के लिए प्रधान उन सभी अधिकारियों का प्रयोग करेगा जो इन नियमों द्वारा प्रदत्त हैं अथवा उनका, जो समय-समय पर सोसाइटी उसे प्रदान करेगी ।

[ख] ऊपर नियम [क] की व्यापकता के प्रतिकूल न जाते हुए प्रधान के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:-

1 सोसाइटी से संबन्धित कोई सूचना, दस्तावेज और आंकड़े मांगना ।

2 सोसाइटी के कार्य और प्रगति की समीक्षा ।

3 सोसाइटी के हित में, सोसाइटी के किसी भी प्राधिकारी को जैसे वह उचित समझे , निदेश अथवा अनुदेश देना ।

4 सोसाइटी के मामलों की जांच और उस पर रिपोर्ट देने के लिए कमेटियों अथवा आयोगों की नियुक्ति करना और इस विषय पर आवश्यक आदेश देना । और,

5 उपयुक्त सूचना देकर किसी भी समय, किसी भी प्रयोजन के लिए सोसाइटी के बैठक के आदेश देना ।

प्रत्यायोजन

19. प्रधान अपनी उन शक्तियों को,जिन्हें वह आवश्यक समझे,सोसाइटी के उपप्रधान को लिखित रूप में सौप सकता है ।

VI. उपप्रधान

शक्तियां एवं कार्य:

20. [क] यहां दिए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त उपप्रधान उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि प्रधान द्वारा विशेष रूप से सौपी गई हों । उपप्रधान , अपनी उन शक्तियों को जिन्हें वह आवश्यक समझें महानिदेशक अथवा शासी निकाय के सह अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को लिखित रूप में सौप सकता है ।

V. महानिदेशक

शक्तियां एवं कार्य:

21. [क] भारत सरकार, प्रधान,उप प्रधान, द्वारा पारित किसी आदेश या शासकीय निकाय द्वारा लिए गए निर्णयों के अंतर्गत महानिदेशक सोसाइटी का प्रधान अधिकारी होने के नाते , निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:-

1. कार्यों का और नियम 48 के अधीन सोसाइटी के निधि का उचित प्रशासन ।
2. सोसाइटी के सभी कारांचारियों का कर्तव्य भार निर्धारित करना ।
3. सोसाइटी के सभी कर्मचारियों के काम और आचरण का परिवेक्षण एवं अनुशासनिक नियंत्रण रखना ।
4. सोसाइटी के सभी क्रियाकल्पों की सामान्य देख-रेख तथा समन्वय रखना,
5. यदि शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत हो, तो सभी अनुबंधों, विलेखों और अन्य लेख-पत्रों का सोसाइटी के ओर से, निष्पादन करना ।

[ख] महानिदेशक, लिखित रूप से , अपने उन अधिकारों को , जिन्हें वह आवश्यक समझे सोसाइटी के सचिव और किसी अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों को, जो पद में उससे छोटा हैं, सौप सकता है ।

VI. सचिव

शक्तियां:

22. [क] महानिदेशक की सामान्य देख-रेख, मार्गदर्शन और नियंत्रण में सचिव उन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इन नियमों के द्वारा उसे प्रदान की गई है और उन सभी शक्तियों का जो समय-समय पर उसे प्रदान की जा सकती है ।

[ख] सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम [1860 का 21] के अनुभाग 6 के प्रयोजन से सचिव को सोसाइटी का प्रधान सचिव माना जाएगा और सोसाइटी के सचिव के नाम से सोसाइटी मुकदमा चला सकती है या इस पर मुकदमा चला सकता है । सचिव , महानिदेशक के अनुमोदन पर सोसाइटी के किसी अन्य अधिकारी को अपनी ओर से पैरवी के लिए हस्ताक्षरित एवं सत्यापित करने के लिए लिखकर प्राधिकृत कर सकता है ।

[ग] सचिव, लिखित रूप से, महानिदेशक के अनुमोदन पर अपनी उन शक्तियों जिन्हे वह आवश्यक समझे, को सोसाइटी में अपने अधीन किसी अधिकारी को सौप सकता है ।

23. [क] सचिव सोसाइटी, प्रधान, उपप्रधान और महानिदेशक के निर्देशों पर कार्य करेगा ।

[ख] सचिव सोसाइटी और शासकीय निकाय की बैठकों के लिए सूचना जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा और सोसाइटी एवं शासी निकाय की कार्यवाही का कार्यवृत रखे अथवा रखवायेगा।

[ग] सचिव, सोसाइटी के सभी अभिलेखों को अपने कार्यालय में अथवा शासी निकाय द्वारा निर्धारित करने पर किसी अन्य स्थान पर रख अथवा रखवायेगा ।

VI. सोसाइटी की बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठक

24. निम्न कार्य का संचालन करने के लिए सोसाइटी की वार्षिक सामान्य बैठकें उस दिन, समय और स्थान पर होगा जैसे प्रधान निश्चय करें :-

1. सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना ।
2. सोसाइटी के वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना
3. कार्य सूची में अन्य विषय

विशेष आम बैठकें

25. [क] प्रधान जब भी उचित समझे विशेष आम बैठक बुला सकता है ।

[ख] प्रधान के विशेष रूप से प्राधिकृत करने को छोड़कर, सभी विशेष आम बैठकों में सूचना अथवा मांग जैसा भी हो, में वर्णित विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर वाद-विवाद नहीं होगा ।

[ग] सोसाइटी के सदस्य यदि किसी बैठक को बुलाने के प्रस्ताव की मांग रखते है तो उस बैठक का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्हें सचिव को लिखना होगा

[घ] यदि सोसाइटी के कम से कम दस सदस्य लिखित मांग करें तो प्रधान को विशेष आम बैठक बुलानी होगी ।

बैठक बुलाना

26. सचिव के द्वारा तथा उसी के हस्ताक्षर से सोसाइटी के सभी बैठकें लिखित सूचना द्वारा बुलायी जाएगी ।

बैठकों की सूचनाओं

27. सोसाइटी की बैठक बुलाने की प्रत्येक सूचना में दिन, समय और स्थान बतायेगी बैठक की सूचना बैठक के निश्चित दिन के पूरे पंद्रह दिन पहले सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी ।

सूचना देरी से अथवा न मिलने पर बैठक की वैधता

28. किसी सदस्य को सूचना देने में अनजाने ही हुई भूल या सूचना की अप्राप्ति अथवा आविलम्ब से प्राप्ति से बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं मानी जाएगी ।

बैठक अध्यक्ष और उसका निर्वाचन

29. [क] सोसाइटी के सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधान करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपप्रधान करेगा। प्रधान और उपप्रधान दोनों की अनुपस्थिति पर ,उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता के लिए चुन लेंगे ।

[ख] जब तक अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है , अध्यक्ष के निर्वाचन को छोर सोसाइटी की किसी भी बैठक में किसी विषय पर चर्चा नहीं होगी ।

कोरम

30. सोसाइटी की किसी भी बैठक में 1/5 सोसाइटी सदस्य सशरीर उपस्थित होने पर कोरम माना जाएगा ।

विवादास्पद प्रश्नो का मत द्वारा निपटारा

31. [क] सोसाइटी की बैठकों में सभी विवादास्पद प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के सहयोजित सदस्यों को छोड़कर, मत द्वारा किया जायेगा ।

[ख] सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ।

[ग] मतों में समानता होने पर, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा ।

VII. शासी निकाय

इस शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे;-

1.	केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री	अध्यक्ष	पदेन
2.	केन्द्रीय खेल प्रभारी राज्य मंत्री	सह-अध्यक्ष	पदेन
3.	सचिव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	सदस्य	पदेन
4.	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य	पदेन

5.	महासचिव, भारतीय ओलम्पिक संघ	सदस्य	पदेन
6.	संयुक्त सचिव , (खेल) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	सदस्य	पदेन
7.	महानिदेशक [निर्माण], केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सदस्य	पदेन
8.	अपर सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय	सदस्य	पदेन
9.	वित्तीय सलाहकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य	पदेन
10.	अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ अथवा उनका नामित	सदस्य	पदेन
11.	अध्यक्ष, सी आई आई अथवा उनका नामित	सदस्य	पदेन
12.	सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ	सदस्य	पदेन
13.	सचिव, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य	पदेन
14.	विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य	विदेश सचिव विदेश मंत्रालय
15.	8 उत्कृष्ट खिलाड़ी (भारत सरकार द्वारा भा.खे.प्रा. के प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व के लिए महिला सहित बारी-बारी से नामांकित किया जायेगा । यदि और जब मंत्री परिषद में शामिल किया जायेगा	सदस्य (8)	1. श्री विश्न सिंह, वेदी 2. श्री धनराज पिल्लै 3. श्री मोहिन्दर लाल 4. श्री सतपाल 5. सुश्री हिंगीलिएमा 6. सुश्री पी. टी. ऊषा 7. कमलेश मेहता 8. श्री जयदीप मेखजी
16.	दो खेल संवर्धक जिन्हें खेल के संवर्धन/आयोजन तथा प्रशासन की जानकारी हो (भारत सरकार	सदस्य (2)	1. एस.शंकर मेनन 2. डॉ. वी. शिवान्थी आदित्यन

	द्वारा नामित किए जाएँगे)		
17.	योग विशेषज्ञ (भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जायेगा)	सदस्य	डॉ. पी.के. चन्दक बिहार योग विद्यालय
18.	शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ (भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा)	सदस्य	डॉ. एन.गोविन्द राजालू विभागाध्यक्ष पुडुचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी
19.	सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य सचिव	पदेन

बैठक बुलाने के लिए जैसा जरूरी हो, शासी निकाय के अध्यक्ष समय- समय पर , सोसाइटी से अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित अथवा आमंत्रित कर सकता है , बशर्ते कि सहयोजित अथवा आमंत्रित किए गए सदस्य पाँच से अधिक न हों ।

33. समान्यतः शासी निकाय,सोसाइटी के लक्ष्यों, जैसा संगम के ज्ञापन में दिया है, का अनुसरण कर कार्यान्वित करेगी । और करने में भारत सरकार अथवा प्रधान अथवा सोसाइटी द्वारा नीति निर्देशों और मार्गदर्शन का अनुसरण कर उसे लागू करगी ।

34. [क] समय-समय पर भारत सरकार द्वारा लगाई गयी व्यय सम्बन्धी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शासी निकाय सोसाइटी की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो किसी भी कानून विषय द्वारा अधिकार में हों, प्रदत्त की जाने वाली है ।

[ख] पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता के प्रतिकूल न जाते हुए शासी निकाय के इन नियमों और उपविधियों के भीतर रहते हुए विशेष रूप से ये शक्तियां होंगी:-

1. वार्षिक और पूरक बजट के अनुमानो को , जैसे वह उचित समझे , आवश्यक परिवर्तन सहित अन्तिम रूप देना ।

2. सोसाइटी को वार्षिक रिपोर्ट और लेखों को तैयार करके उन्हे लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ सोसाइटी की वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत करना ।

3. संस्थानो,यूनिटों,केन्द्रों, शाखाओं,स्टेडियम, कार्यालयों , खेल सुविधाओ ,आवास क्षेत्रों , भवनों , आदि की स्थापना करना, अनुरक्षण करवाना,एकीकरण करना और /अथवा उन्हें बन्द करना ।

4. सोसाइटी के उद्देश्यों की बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार से और सरकार के माध्यम से विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और संगठनो, राज्य सरकारों और दूसरे निकायों अथवा संगठनो से करारनामे करना ।

5. सोसाइटी की लिए समितियां और उपसमितियां , जिनके सदस्य शासकीय निकाय के सदस्य अथवा सोसाइटी के कर्मचारी हो, अथवा न हो, की नियुक्ति करना अथवा भंग करना ।

6. सोसाइटी के लिए दान ,अनुदान,तथा उपहार स्वीकार और प्राप्त कर ना, विन्यास अथवा न्यास निधि की व्यवस्था लेना और दान, अनुदान और उपहार देना ।

7. सोसाइटी के अधीन ऐसे होंगे जो (अनुलग्न । और ।। मैं] विनिर्दिष्ट है , समय-समय पर संशोधित हैं और पद धारकों का वेतनमान वही होगा जो क्रमश: प्रत्येक विषय के सामने उन आदेशों में दर्शाया गया है जो कि समय- समय पर सोसाइटी द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किए गए हों ।

8. अनुलग्नक । और ।। में विनिर्दिष्ट सोसाइटी के लिए आवश्यक सारे स्टाफ को उन शर्तो पर नियुक्त करना जो उचित और उपयुक्त समझी जाएं बशर्ते कि भारत सरकार द्वारा स्वेच्छा से समय-समय पर लगाई गई शर्तों को पूरा किया गया हो,परन्तु यदि "क" और "ख" ग्रुप के पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है तो उसमें भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

9. सोसाइटी के किसी भी अथवा सभी उद्देश्यों की बढ़ोत्तरी के लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर, उपहार से, खरीदकर, विनिमय कर, पट्टे पर, किराये पर, अथवा किसी और प्रकार से कोई भूमि,भवन,दूसरे की संपत्ति पर समिति अधिकार , सामान्य खेल मैदान पर अधिकार, पार्को और भी चल और/अथवा अचल संपत्ति प्राप्त करना ।

10. भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर भवनों और दूसरी इमारतों का निर्माण , रचना और अनुरक्षण तथा उनमें और वर्तमान इमारतों में परिवर्तन , विस्तार , सुधार , मरम्मत , वृद्धि , तथा बिजली , पानी , नालियां , फर्नीचर , फिटिंग , उपकरण , साधित्र और अन्य सभी आवश्यकताएं जिनको कि प्रत्येक इमारत के लिए प्रयोग में लाया जाए |

11. भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्माण करना , अथवा/अन्यथा अर्जित करना , नक्शा बनाना, मरम्मत, विस्तार, परिवर्तन, वृद्धि, सुधार करना, किसी भूमि का प्रयोग-उपयोग मनोरंजन अथवा प्रसाद स्थल पार्को और /अथवा सोसाइटी की अन्य अचल सम्पत्ति का उपयोग करना ।

12. सोसाइटी के किसी एक अथवा अधिक उद्देश्यों की बढ़ोत्तरी के लिए किसी भी प्रकार की रोकड़ अथवा अचल और चल सम्पत्ति को या तो बिना किसी शर्त के अथवा या फिर किसी भी विशेष दाता द्वारा रचित किन्हीं विशेष ट्रस्टों द्वारा स्वीकार एवं प्राप्त करना ।

13. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के तहत सोसाइटी की किसी भी प्रकार की चल और अचल सम्पत्ति को बेचना , प्रबन्ध करना, स्थानान्तरण करना, विनिमय करना, गिरवी रखना, हस्तान्तरण अथवा बेचना अथवा किसी भी भांति व्यवहार करना ।

14. बोनस, रेहन, प्रनोटों अथवा अन्य आभारों या सोसाइटी की सारी अथवा किसी सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति पर आधरित ऋण-पत्र अथवा बिना किसी प्रकार के ऋण-पत्र के और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों पर धन उधार लेना और उसे बढ़ाना ।

15. सोसाइटी की किसी भी निधि को व्यवहार में लाना और लगाना , उन ऋण-पत्रों पर जैसा सोसाइटी उचित समझे और समय - समय पर लगे धन का स्थानान्तरण करना ।

16. सोसाइटी जैसा उचित समझे अपने किसी भी कर्मचारी के लाभ के लिए अनुदान देगा ।

17. क्रमशः प्रनोटों, बिलों, चैकों, अथवा अन्य परक्राम्य लेख-पत्र को बनाने ,तैयार करने,स्वीकार करने, पृष्ठांकन करने और विनिमय करना ।

18. भारत सरकार के अनुमोदन से सोसाइटी के कार्यों के प्रशासन और विनियमन के लिए ऐसे नियमों और उपविधियों को आवश्यकतानुसार बनाने , समय-समय पर संशोधित करने और निरस्त करने का अधिकार रखती है ।

19.जैसा यह जरूरी और उचित समझे वैसे प्रशासनिक , वित्तीय और अन्य शक्तियां महानिदेशक, सचिव और किसी अधिकारी को सौंप दे ।

बैठकों की आवृत्ति

35. जब - जब आवश्यक हो शासी निकाय अपनी बैठक बुलाएगी और साधारणतः हर वर्ष में कम से कम तीन महीनों में एक बार ऐसी बैठक हो । इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष का आरम्भ अप्रैल के प्रथम दिन से और समाप्ति अगले कैलेंडर वर्ष को 31 मार्च को मानी जाएगी।

36. शासी निकाय की बैठकें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर होंगी ।

बैठकों की सूचना और उसे भेजना

37. [क] शासी निकाय की सभी बैठकें सचिव द्वारा और उससे लिखित और हस्ताक्षरित सूचना के माध्यम बुलाई जाएगी ।
[ख] शासी निकाय की बैठक को बुलाने के लिए दी गयी प्रत्येक सूचना में उस बैठक को तिथि , समय और स्थान दिया जाएगा और ऐसी सूचना शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को साधारणत : बैठक होने से कम से कम पूरे पन्द्रह दिन पहले दी जाएगी ।

बैठक की कार्यवाही की मान्यता

38. किसी सदस्य को बैठक की सूचना देने में अनजाने में काई भूल होना अथवा सूचना का न मिलना अथवा देरी से मिलना, बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं ठहराएगा ।

बैठक के अध्यक्ष

39. शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष करेंगे । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता सह-अध्यक्ष करेंगे । अध्यक्ष एवं सह-अध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में बैठक को अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे ।

कोरम

40. शासी निकाय को बैठक के लिए शासी निकाय के चार सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति कोरम के लिए पर्याप्त होगी ।

बहुमत के आधार पर मामलों का निर्धारण

41. शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा । शासी निकाय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मामलों का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा । यदि किसी प्रश्न पर मतों को समानता है, तो उस स्थिति में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा ।

किन्तु वित्त सदस्य यदि ऐसा निवेदन करें तो शासी निकाय वित्तीय मामले निर्णय के लिए भारत सरकार को भेज देगा ।

संकल्प के परि - चालन से कार्य संचालन

42. ऊपर के 41 नियम के परन्तुक को मानते हुए , कोई भी कार्य जो शासी निकाय द्वारा करना जरूरी समझा जाए , उसे सभी सदस्यों के पास घुमाकर लिखित संकल्प द्वारा किया जा सकता है । ऐसा कोई भी संकल्प जिसे सदस्यों के पास घुमाया गया है और बहुसंख्यक सदस्यों ने उसका अनुमोदन किया है वह उतना ही प्रभावी बाध्य होगा जैसा कि शासी निकाय की बैठक में पारित संकल्प ।

43. ऊपर दिए गए नियम 42 में निर्दिष्ट शासी निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाही और पारित संकल्प सचिव द्वारा उपाध्यक्ष के पास प्रस्तुत करेगा और उपाध्यक्ष सह-अध्यक्ष का माध्यम से अनुमोदन के लिए अध्यक्ष के पास प्रस्तुत करेगा ।

कार्यवाही पर कार्यान्वयन

44. शासी निकाय को बैठकों की कार्यवाही शीघ्रता से कार्यान्वित की जाएगी । कार्यवाही की एक प्रति अध्यक्ष को सूचना एवं निर्देशों के लिए भेजी जाएगी, यदि कोई हो ।

सोसाइटी की निधि

45. [क] सोसाइटी की लिधि में निम्नलिखित होगे :

1. सोसाइटी को भारत सरकार,राज्य सरकारों,केन्द्र शासित प्रदेश इत्यादि द्वारा प्राप्त अनुदान ।
2. सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान, उपहार और अन्य किसी तरह की प्राप्ति ।
3. स्टेडिया,आवासीय और अन्य भवनों, खेल सुविधाओं, टिकटों की बिक्री, विज्ञापन अधिकारों के विक्रय से, प्रकाशनों के विक्रय , विवरिणका, पदको, सोवेनियरों इत्यादि और खेल की अन्य सुविधाओं के उपयोग से उपलब्ध आय और प्राप्तियां ।
4. निवेश से प्राप्त आय ।
5. किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आय ।

[ख] इस नियम के अन्तर्गत भारत सरकार बाध्य नहीं कि वह सोसाइटी को उसको घाटा पूर्ति के अतिरिक्त कोई और राशि दे, जब तक कि सरकार स्वंय इसके विपरीत निर्णय न ले ले |

सोसाइटी के बैंकर

46. [1] सोसाइटी के बैंकर भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक एवं/अथवा अनुसूचित/राष्ट्रीकृत बैंक होंगे ।

[2] जबतक शासी निकाय अधिकृत नहीं करता, कोई नया लेखा नहीं खुलेगा ।

[3] सोसाइटी के बैंक लेखे से धनराशि केवल शासी निकाय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही चैक पर हस्ताक्षर और प्रति - हस्ताक्षर करके निकली जा सकती है ।

लेखा परीक्षक

47. समय-समय पर, भारत सरकार द्वारा भारत को नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से, उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा , जो इस कार्य के लिए नामित किए जाएं , सोसाइटी के लेखों का लेखा परीक्षण किया जाएगा ।

वित्तीय मामलो में सलाह

48. वित्तीय विविक्षा वाले मामलों पर वित्त सदस्य से परामर्श लिया जाएगा और यदि यह चाहे तो उसके विचार शासी निकाय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे ।
वित्त सदस्य से किसी ऐसे मामले में जो भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग के अधिकार श्रेत्र में नहीं आता, असहमति की स्थिति में यह युवा कार्य एवं खेल मंत्री और वित्त मंत्री के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा ।

सोसाइटी के वित्तीय सलाहकार

49. सोसाइटी के मुख्यालय में एक पूर्णकालिक वित्तीय सलाहकार होगा , जिसका उत्तरदायित्व बजट प्राक्कलन तैयार करना, लेखों को रखना, आन्तरिक लेखा परीक्षण, खजाना और ऐसे अन्य कार्य करना जो शासी निकाय अथवा/महानिदेशक द्वारा उसे सौंपे गए है । वित्तीय सलाहकार उपरोक्त लिखित कार्यो के लिए महानिदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

वार्षिक रिपोर्ट

50. सोसाइटी के सदस्यों की सूचना के लिए सोसाइटी की कार्यवाही की वार्षिक रिपोर्ट और वर्ष भर में किए गए कार्यों की रिपोर्ट शासी निकाय द्वारा तैयार की जाएगी और सोसाइटी के वार्षिक

लेखों के साथ-साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट सोसाइटी की वार्षिक साधरण बैठक में तथा संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

सोसाइटी की मोहर

51. सोसाइटी के शासी निकाय की एक मोहर होगी, जिसका प्रयोग केवल शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन पर-उन मामलों में जहां किसी भी कानून के तहत सोसाइटी के किसी प्रलेख अथवा लेख-पत्र पर इस प्रकार की मोहर लगाना आवश्यक हो अथवा शासी निकाय इस प्रकार का निर्णय ले/यह प्रलेख/लेख पत्र शासी निकाय के किसी एक सदस्य और सचिव या किसी ऐसे अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति जो कि शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत हो, हस्ताक्षर किया जाएगा।

सोसाइटी के उद्देश्य में परिवर्तन अथवा विस्तार

52. सोसाइटी जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित की गयी थी , उन उद्देश्यों में परिवर्तन अथवा उनका विस्तार कर सकती है, अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी अन्य सोसाइटी में निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा एकीकरण कर सकती है , यदि भारत सरकार द्वारा इसका अनुमोदन पहले से प्राप्त कर लिया गया हो ।

[क] शासी निकाय इन नियमों के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सोसाइटी के सदस्यों की एक विशेष साधारण बैठक बुलाएगा ।

[ख] शासी निकाय ऐसे परिवर्तन, विस्तार अथवा एकीकरण के प्रस्ताव को सोसाइटी सदस्यों को लिखित अथवा प्रकाशित रिपोर्ट भेजेगा ।

[ग] ऐसी रिपोर्ट उक्त विशेष साधारण बैठक के पूरे 15 दिन पहले सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को वितरित की जाए अथवा डाक द्वारा भेजी जाए ।

[घ] ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ माना जाएगा , यदि शासी निकाय द्वारा पहली बैठक से एक महीने के अन्तराल पर विशेष साधारण बैठक की अनुवर्ती बैठक में सोसाइटी के 3/5 सदस्यों के मत से उस प्रस्ताव की पुष्टि की जाएगी ।

नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन

53. भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से सोसाइटी के नियमों में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है यदि सोसाइटी के सदस्यों को इस उद्देश्य के लिए बुलाई गयी बैठक में इस प्रकार संकल्प बहुमत से पारित कर दिया गया हो ।

सोसाइटी के नाम में परिवर्तन

54. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 [क] के अनुसार सोसाइटी अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है ।

शासी निकाय की वार्षिक सूची

55. वर्ष में एक बार , शासी निकाय के पदाधिकारियों और सदस्यों की एक सूची दिल्ली के सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के यहां भेजी जाएगी , जैसा कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 4 के अन्तर्गन वांछनीय है, जो केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के ऊपर लागू होता है ।

कार्य व्यापार विघटन और समायोजन

56. यदि सोसाइटी के भंग करने की आवश्यकता हो तो इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 और 14 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू हो, ही किया जाएगा ।

57. सोसाइटी के बन्द अथवा भंग हो जाने की स्थिति में यदि इसके सारे ऋण और दायित्व चुका देने के उपरांत जो किसी भी प्रकार की सम्पत्ति शेष बचती है तो वह सोसाइटी के सदस्यों अथवा उनमें में किसी एक को न तो दी जाएगी और न उनमें बांटी जाएगी । बल्कि वह सम्पत्ति भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और विधि के अनुसार वितरित की जाएगी ।

अधिनियम का लागू होना

58. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 को सभी धाराओं के अधीन, जैसा केन्द्र शासित प्रदेश पर लागू है, इन सोसाइटी पर भी लागू होगी ।

अनिवार्यता प्रमाण-पत्र

59. प्रमाणित किया जाता है कि यह सोसाइटी के नियमों की प्रतिलिपि है ।